दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 388/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/कार्यालयों पर व्यापक स्वच्छता एवं शस्त्र रख-रखाव अभियान संचालित, स्वच्छता का दिया गया संदेश

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों, कार्यालयों एवं पुलिस बैरकों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया।
- उक्त अभियान के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना परिसरों, कार्यालयों, बैरकों, शस्त्रागारों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
- निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी थानों द्वारा समन्वित रूप से अभियान चलाते हुए थाना परिसर, आवासीय बैरकों, कार्यालय कक्षों एवं सार्वजनिक स्थलों की व्यापक साफ-सफाई की गई। साथ ही शस्त्रों की विधिवत साफ-सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने हेतु आवश्यक निरीक्षण भी किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना, कर्मियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण स्थापित करना है।
- महोबा पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वच्छता एवं रख-रखाव के मानकों का निरंतर पालन किया जाए, जिससे जनपद में बेहतर पुलिसिंग के साथ-साथ एक अनुशासित एवं प्रभावी कार्यसंस्कृति विकसित हो सके।

☞ स्वच्छता, अनुशासन एवं तत्परता—महोबा पुलिस जनसेवा एवं सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

महोबा पुलिस

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 389/26

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महोबा पुलिस का जनपदव्यापी "बहू–बेटी सम्मेलन", महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संदेश

"सशक्त नारी – सुरक्षित समाज" के संकल्प के साथ महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 19.07.2026 को मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एसओपी के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें समाज में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन—के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

युवतियों एवं छात्राओं को शिक्षा के महत्व, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, सुरक्षित भविष्य निर्माण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के अंतर्गत महिलाओं को OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/CVV, UPI PIN एवं पासवर्ड साझा न करने, फर्जी कॉल/मैसेज/लिंक से सावधान रहने एवं साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन एवं निकटतम थाना/साइबर सेल से संपर्क करने हेतु जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा यह विश्वास दिलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए महोबा पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

कार्यक्रम के समापन पर सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक रहने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनने एवं किसी भी आपात स्थिति में बिना किसी झिझक के पुलिस एवं हेल्पलाइन सेवाओं से संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया।

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 390/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय में किया गया पेश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, म0उ0नि0 मालती साहू मय हमराह पुलिस बल द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों की तामील के क्रम में आज दिनांक 19.07.2026 को 03 वारण्टी अभियुक्तगणों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.श्रीपत पुत्र पुत्तूलाल, उम्र 71 वर्ष

2.बृजमोहन पुत्र श्रीपत, उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम सीगौन थाना अजनर जनपद महोबा (परिवाद संख्या 476/25 धारा 223 भादवि)

3.फूला पुत्र बसन्त बसोर, उम्र करीब 70 वर्ष, निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जनपद महोबा (सीपी संख्या 3085/21 धारा 323/324/504 भादवि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी

2.म0उ0नि0 मालती साहू

3.रि0का0 रवि प्रकाश

4.रि0का0 शिवम शुक्ला

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 391/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खन्ना जनपद महोबा की देखरेख में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह रि0का0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त उत्तम चन्द्र पुत्र श्यामलाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम घण्डुवा थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित क्रिमिनल केस संख्या 298/2015, अ0सं0 1100/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा जारी बिना जमानतीय वारंट के अनुपालन में ग्राम घण्डुवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

उत्तम चन्द्र पुत्र श्यामलाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम घण्डुवा थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हीरामणि तिवारी
2. रि0का0 सुरेन्द्र कुमार

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 392/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य मय हमराह रि0का मनोज कुमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामील करते हुए अभियुक्त रणजीत सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम सतारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0सं0 07/2021, अ0सं0 347/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में बागौल तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 16 अदद "झूम" ब्राण्ड देशी शराब नाजायज बरामद की गई।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

बरामद माल-

- कुल 16 अदद झूम ब्राण्ड देशी शराब (नाजायज)

गिरफ्तार अभियुक्त-

पम्पईराजा उर्फ रणजीत सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम सतारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
2. रि0का मनोज कुमार

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 393/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय में किया गया पेश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थाना श्रीनगर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित टीम के व0उ0नि0 विजय बहादुर, का0 नितेश कुमार व रि0का0 विनय कुमार द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की तामील करते हुए आज दिनांक 19.07.2026 को 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जगमोहन पुत्र सुम्मी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. हरीराम पुत्र भवानीदीन, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी मुहल्ला दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. हीरालाल पुत्र शिवदयाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी मुहल्ला दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

उक्त अभियुक्तगणों को सम्बन्धित मुकदमा संख्या 4155/2014, अ0सं0 1708/2013 धारा 4/21 खनिज अधिनियम व 379/411 भादवि एवं 3/57/70 खनिज नियमावली थाना श्रीनगर जनपद महोबा में माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में जगमोहन को मुहल्ला मनोहरगंज तथा हरीराम व हीरालाल को मुहल्ला दाऊपुरा कस्बा श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 विजय बहादुर
2. का0 नितेश कुमार
3. रि0का0 विनय कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 394/26

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के कुशल नेतृत्व में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थाना महोबकंठ पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह कां0 नितिन कुमार कनौजिया द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा निर्गत वारंट की तामील करते हुए अभियुक्त नन्दकिशोर रैकवार पुत्र चिरंजीलाल, निवासी ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0सं0 601431/2012, अ0सं0 321/2012 धारा 25 ए.एक्ट मय धारा 82 सीआरपीसी में ग्राम भुजपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नन्दकिशोर रैकवार पुत्र चिरंजीलाल, निवासी ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित कुमार
2. कां0 नितिन कुमार कनौजिया

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 395/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय में किया गया पेश

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के निर्देशन में गठित टीम उ0नि0 सनय कुमार, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, उ0नि0 सत्यप्रकाश पाण्डेय मय हमराह कां0 कुलदीप शुक्ला, रि0का0 श्याम बहादुर व रि0का0 विपिन कुमार द्वारा 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आजाद पुत्र प्रहलाद उर्फ लल्लू, निवासी ग्राम सलैया खालसा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0नं0 1166/2018, अ0सं0 76/2018 धारा 452/323/504/506/325 भा0द0वि0
2. भूपेन्द्र पुत्र सुखराम अहिरवार, निवासी मोहल्ला थाने के पीछे कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0नं0 2503/2013, अ0सं0 521/2013 धारा 2/3 खेसारी अधिनियम
3. नारायण पुत्र महीपत यादव, निवासी ग्राम बहादुरपुरा कला थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0नं0 603423/2012, एनसीआर नं0 102/2011 धारा 323/504/506 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव
3. उ0नि0 सत्यप्रकाश पाण्डेय
4. कां0 कुलदीप शुक्ला
5. रि0का0 श्याम बहादुर
6. रि0का0 विपिन कुमार

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 396/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय में किया गया पेश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को कुल 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अनिल सिंह पुत्र धरम सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0अ0सं0 1281/2012 धारा 325/324/323/304/506 भा0द0वि0, न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड/सिविल जज (एफटीसी) महोबा से ग्राम गुगौरा से गिरफ्तार।
2. मंगी प्रजापति पुत्र प्रहलाद प्रजापति, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम बबेडी थाना कबरई जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0सं0 602811/2012, अ0सं0 126/2012 धारा 452/354/504/506 भा0द0वि0, मा0 न्यायालय WRC कोर्ट महोबा से ग्राम बबेडी से गिरफ्तार।
3. बृजेश साहू पुत्र लालदास साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी मुहल्ला सुभाष नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0सं0 1402/2015, अ0सं0 2469/2014 धारा 279/337/338 भा0द0वि0, मा0 न्यायालय CJM से छंगा तिराहा कस्बा कबरई से गिरफ्तार।
4. लाखन सिंह पुत्र मैयादीन यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासी मुहल्ला राजीव नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, सम्बन्धित अ0सं0 09/2009 धारा 323/504/506 भा0द0वि0, मा0 न्यायालय WRC कोर्ट महोबा से चन्द्रावल रोड कस्बा कबरई से गिरफ्तार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमें-

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराह कां0 कुंवर पाल
2. उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह रि0आ0 अतुल कुमार सिंह
3. व0उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह, उ0नि0 गौरव चौबे, कां0 धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 397/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना खरेला पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्हेलाल यादव द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अवनीश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 संजय कुमार द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त बृजमोहन पुत्र सातियां, निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा, उम्र करीब 36 वर्ष, को सम्बन्धित केस नं0 115/2024 धारा 128 सीआरपीसी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में अभियुक्त को बस अड्डा कस्बा खरेला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजमोहन पुत्र सातियां, निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा, उम्र करीब 36 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
2. हे0का0 संजय कुमार

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 398/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 हार्दिक सिंह मय हमराह हे0का0 महेन्द्र कुमार गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, अपराध रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 19.07.2026 को चरखारी-सूपा मार्ग पर पचपहरा की ओर जाने वाली नहर की पट्टी, बहद कस्बा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त वीर सिंह यादव पुत्र स्व0 अम्मू यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

वीर सिंह यादव पुत्र स्व0 अम्मू यादव, उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम टोला सोयम थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर (नाजायज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 हार्दिक सिंह
- हे0का0 महेन्द्र कुमार गौतम

महोबा पुलिस

दिनांक- 19.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 399/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा आज दिनांक 19.07.2026 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के साथ थाना चरखारी में सर्किल चरखारी के अंतर्गत आने वाले थाना चरखारी, खरेला एवं श्रीनगर में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ विवेचना निस्तारण के संबंध में अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही 06 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विवेचकों को कड़ी हिदायत प्रदान की गई।

इस अवसर पर अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की जांच, अपहृता बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, e-समन, यक्ष ऐप, e-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं प्रचलित अभियानों की प्रगति का विस्तृत परीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी विवेचकों को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित करने, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, वारंट/एनबीडब्ल्यू की शत-प्रतिशत तामील, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी चरखारी के साथ थाना चरखारी क्षेत्र में पुलिस बल के साथ सघन पैदल गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था का जायजा लिया गया। गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, कस्बों, बाजारों एवं मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील स्थलों पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया।

इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों पर सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही उपस्थित पुलिस बल को निरंतर सतर्कता बनाए रखने, प्रभावी गश्त करने एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।